प्रेस नोट **दिनांक 02/07/2026**

थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा हत्या से सम्बन्धित 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ,आला कत्ल 01 अदद नजायज चाकू बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन, मे अपराध एंव अपराधियो के विरूद्ध चलये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय लगभग 00:39 बजे रात्रि नदवासराय अन्डर पास से मु0अ0सं0 268/26 धारा 103(1), 238 बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1.पवन कुमार पुत्र भारत निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 30 वर्ष 2. भारत बांसफोर पुत्र किताबू निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 60 वर्ष 3.अवधेश कुमार पुत्र भारत निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 26 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 30.06.2026 को जमालपुर मिर्जापुर हाइवे पुलिया के नीचे मिले सिर कटे अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी पहचान सुभाष बासफोर निवासी सद्दोपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के रुप में हुई थी जिस पर वादी हरिकेश बांसफोर पुत्र स्व0 सुभाष बांसफोर निवासी सद्दोपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा दिनांक 01.07.2026 को अपने पिता सुभाष बांसफोर की विपक्षीगण द्वारा हत्या कर लाश को छिपा देने के संबंध में थाना घोसी पर मु0अ0सं0 268/26 धारा 103(1), 238 बीएनएस बनाम भारत बांसफोर पुत्र किताबू निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ आदि दिनांक घटना 27.06.2026 पंजीकृत कराया गया। मुकदमा उपरोक्त के उक्त अभियुक्तगण फरार चल रहे थे जिनको आज दिनांक 02.07.2026 को घोसी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्तगण,1. पवन कुमार पुत्र भारत निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 30 वर्ष ,2. भारत बांसफोर पुत्र किताबू निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 60 वर्ष, 3. अवधेश कुमार पुत्र भारत निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 26 वर्ष को नदवासराय अण्डर पास से तथा 4. अभियुक्त बबलू कमार पुत्र रामअशीष निवासी मानिकपुर को असना नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर भारत बांसफोर द्वारा बताया गया कि मेरे समधी सुभाष तान्त्रिक है झाड- फूक करते है। उन्होनें हम लोगों पर भूत-प्रेत कर दिया है जिससे पहले मेरी मां की मृत्यु हुई, उसेक एक महीने बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो गयी और मुझे फालिस मार दिया है और मेरी बहू बीमार रहती है। इसी बात का बदला लेने के लिए हम लोगों द्वारा सुभाष को चाकू मार कर हत्या कर जमालपुर मिर्जापुर हाइवे किनारे पुलिया के नीचे ले जाकर नाला के किनारे झाडी मे छुपा दिये। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद नजायज चाकू बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय को समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. पवन कुमार पुत्र भारत निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 30 वर्ष
2. भारत बांसफोर पुत्र किताबू निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 60 वर्ष
3. अवधेश कुमार पुत्र भारत निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 26 वर्ष
4. बबलू कुमार पुत्र रामआशीष निवासी मनिकपुर असना

आपराधिक इतिहास-

1. भारत बांसफोर पुत्र किताबू निवासी मसीना थाना घोसी जनपद मऊ
   मु0अ0स0 0556/2017 धारा 323, 324 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 268/26 धारा 103(1), 238 बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी -

1. आलाकत्ल 01 अदद नजायज चाकू बरामद-

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

1. दिनांक 02/06/2026 समय 00:39 स्थान- नदवासराय अण्डरपास

बबलू कुमार पुत्र स्व0 राम आशीष निवासी मनिकपुर असना

1. दिनांक 02/06/2026 समय 7:25 स्थाना- असना नहर की पुलिया

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 02.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 31 टीम गठित कर जनपद के 37 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1150 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 350 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनांक 02/06/2026 को मु0अ0स0 221/26 धारा 64(1), ¾(1) पाक्सो एक्ट व 3(2) एससी/एसटी एक्ट में वाछिंत अभियुक्त तौफीक उमर पुत्र जमशेद अहमद निवासी रैकवारेडीह बड़ी कुटीया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को बबुआपुर बार्डर से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।